

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण
चोरी की 06 राशि भैंस, एक अदद महिन्द्रा मैजिक व 600 अदद अलप्राजोलम टैबलेट के साथ 02
तस्कर गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त नाम पता – 1- कृष्णा उर्फ पक्कन पुत्र नन्हन 2 – विनय पुत्र भुट्टी निवासीगण किछौछा शरीफ थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर को 06 राशि भैंस (03 अदद जीवित व 03 अदद मृत), एक अदद महिन्द्रा मैजिक(रजिस्ट्रेशन नं० UP62BT1403) के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु०अ०सं० 660/20 धारा 41/411 भा०द०वि० व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा कृष्णा उर्फ पक्कन पुत्र नन्हन के पास से बरामद 600 अदद अलप्राजोलम टैबलेट के सम्बन्ध में थाना धनघटा पर मु०अ०सं० 661/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ०नि० श्री विवेकानन्द तिवारी, उ०नि० श्री शर्मा सिंह यादव, हे०का० नाजिर हुसैन, हे०का० अशोक कुमार, हे०का० विनोद कुमार यादव, का० अमेरिका प्रसाद, का० विनोद यादव, का० संतोष सिंह, का० राजकपूर।

वारण्टी

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 1- रहमत अली पुत्र शाह मोहम्मद निवासी धर्मसिंहवा 2- तुफैल पुत्र नजीर निवासी शिवरा थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया है।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1494 द्वारा चोरी करने का प्रयास करने वाले को किया गया गिरफ्तार – पीआरवी 1494 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत कस्बा बखिरा से इवेन्ट संख्या 00142 से कालर ने चोरी करने के प्रयास के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 10 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना बखिरा के सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना के घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –मु0आरक्षी श्रीकान्त सिंह, हो0चा0 देवेन्द्र नारायण शुक्ल ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 286 वाहनो से 250300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 09-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 286 वाहनो से 250300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।